



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062025-264017
CG-DL-E-20062025-264017

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2701]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 20, 2025/ज्येष्ठ 30, 1947

No. 2701]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 20, 2025/JYAISTHA 30, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2025

का.आ. 2767(अ).— भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचनाओं का.आ. 2388(अ) तारीख 18 अगस्त, 2015 द्वारा उन अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूचीयों में विनिर्दिष्ट भूमियों में तरल ईथेन के परिवहन के लिए मैसर्स रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड (वर्तमान में, मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन लिमिटेड) द्वारा दहेज—नागोथने ईथेन पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, यतः, भारत सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने हेतु चाहिये, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन किये जाने का निर्णय लिया था;

और यतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचनाओं का.आ. 227(अ) तारीख 21 जनवरी, 2016 द्वारा उन अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूचीयों में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार का अर्जन किया था;

और, यतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार क्रमशः अधिसूचनाओं के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी बाधाओं से मुक्त मैसर्स रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड (वर्तमान में, मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन लिमिटेड) में निहित किया था;

और, यतः, मैसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल), जो कि हजीरा-दहेज प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एचडीपीएल) का एक विस्तार पाइपलाइन (एचडीपीएल एक्सटेंशन 2) बिछा रही है, ने इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार, जो उपरोक्तानुसार मैसर्स रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड (वर्तमान में, मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन लिमिटेड) में निहित है, को मैसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के साथ बांटने की इच्छा जताई है;

और, यतः, मैसर्स आर.आई.एल की हजीरा-दहेज प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एचडीपीएल) का एक विस्तार पाइपलाइन (एचडीपीएल एक्सटेंशन 2) गैसीय एथिलीन पाइपलाइन के प्रयोजन के लिए मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन लिमिटेड ने उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार को मैसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के साथ बांटने के लिए अपनी सहमति दे दी है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार, जो मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन लिमिटेड (वर्तमान में, मैसर्स रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड) में निहित किया गया था, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, में भी निहित होगा।

अनुसूची

तालुका : अडाजण	जिला : सूरत	राज्य : गुजरात		
		आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल	हेक्टेयर	एयर
गाँव का नाम	सर्वे सं./सब डिविजन सं.	3	4	5
1	2			
1) इच्छापोर	766	00	01	27
	765	00	03	84
	736 / 1	00	05	50
	734	00	03	09
	733 / अ	00	08	09
	732	00	00	10
	716 / पैकी 1	00	07	58
	716 / पैकी 1+2	00	07	51
	716 / पैकी 3-1	00	13	61
	698 / पैकी 1	00	02	84
	698 / पैकी 2-1	00	04	63

[फा. सं. एल.-14014/21/2024-जीपी-II(ई-51557)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2025

S.O. 2767(E).— Whereas by notifications of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 2388(E) dated 18th August, 2015 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire Rights of Users in lands, specified in the schedules appended to those notifications, for the purpose of laying Dahej – Nagothane Ethane Pipeline by M/s Reliance Gas Pipelines Limited (now M/s Reliance Ethane Pipeline Limited) for transportation of Liquid Ethane.

And whereas, Government of India, after considering the reports submitted by the Competent Authority under sub-section(1) of Section 6 of the Act and on being satisfied that the said lands were required for laying the pipeline, decided to acquire the Rights of Users therein;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Act, Government of India declared acquisition of the Rights of Users in lands, specified in the schedules appended to those notifications, for laying the said pipeline, vide notifications of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 227(E) dated 21st January, 2016.

And whereas, in exercise of powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the Act, Government of India declared vesting the Rights of Users in the said lands for laying the pipeline in M/s Reliance Gas Pipelines Limited (now M/s Reliance Ethane Pipeline Limited) instead of Government of India, free from all encumbrances on the dates of publication of respective declarations;

And whereas, M/s Reliance Industries Limited (RIL), which is laying extension pipeline (HDPL Extn.2), intends to share with M/s Reliance Ethane Pipeline Limited (REPL) the Rights of Users in lands described in the schedule appended to this notification, which has been earlier vested in M/s Reliance Gas Pipelines Limited (now M/s Reliance Ethane Pipeline Limited) as mentioned above;

And whereas, M/s Reliance Ethane Pipeline Limited has consented to the sharing of the Rights of Users in the said lands with M/s Reliance Industries Limited for the Purpose of Gaseous Ethylene Pipeline from Hazira Manufacturing Division (HMD) to Dahej Manufacturing Division (DMD) of M/s. Reliance Industries Limited (RIL) in Gujarat, an extension pipeline (HDPL Extn.2) to the existing Hazira – Dahej Natural Gas Pipeline (HDPL) should be laid by M/s. Reliance Industries Limited.

Now, therefore, in exercise of powers conferred under sub-section (4) of Section 6 of the Act, Government of India directs that the Rights of Users in the said lands, vested earlier in M/s Reliance Ethane Pipeline Limited (earlier M/s Reliance Gas Pipelines Limited), would also be vested in M/s Reliance Industries Limited, free from all encumbrances from the date of publication of this declaration.

SCHEDE

Taluka: ADAJAN	District: SURAT	State:GUJARAT		
Name of Village	Survey No./Sub-Division No.	Area to be acquired for ROU		
1	2	3	4	5
1) Ichchhapor	766	00	01	27
	765	00	03	84
	736/1	00	05	50

Ichchhapor	734	00	03	09
	733/A	00	08	09
	732	00	00	10
	716/Paiky 1	00	07	58
	716/Paiky 1+2	00	07	51
	716/Paiky 3-1	00	13	61
	698/Paiky 1	00	02	84
	698/Paiky 2-1	00	04	63

[F. No. L-14014-21-2024-GP-II(E-51557)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.